



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(11)पंरावि/प्रशा.1/स.अ./एपीओ/21/3090

जयपुर, दिनांक :- 27/7/2022

**-:आदेश:-**

श्री प्रमुख लाल मीना, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति नादौती जिला करौली का स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से पंचायत समिति बामनवास जिला सवाईमाधोपुर में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पद पर किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपनी उपस्थिति नवपदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जाकर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इन्हें नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

५७

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
8. जिला कलक्टर, करौली/सवाईमाधोपुर।
9. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
10. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली/सवाईमाधोपुर।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति नादौती(करौली)/बामनवास (सवाईमाधोपुर)।
12. श्री प्रमुख लाल मीना, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति नादौती जिला करौली को पालनार्थ।
13. रक्षित पत्रावली।

५७

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)